



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /निगरानी/ 2018 – ग्वालियर

निगरानी- 4518/2018/ग्वालियर/भू-२५

(७)

कुमारपाल कुमारपाल (अधिकारी)  
द्वारा दाता कि 19-7-18 को  
प्रस्तुत। 26/7/18 तिथे।  
दिनांक 19-7-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. बेवा मुन्नी देवी पत्नी स्व. शिव सिंह
2. सतेन्द्र सिंह
3. बृजेन्द्र सिंह
4. शैलेन्द्र सिंह
5. नितेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व. शिव सिंह  
सिकरवार, निवासीगण ग्राम खेरिया,  
पुरानी छावनी, तह. व जिला  
ग्वालियर —— निगरानीकर्ता

बनाम

1. विमला देवी पत्नी स्व. शिव सिंह  
निवासी हाल ऐडोरी, गोहद, भिण्ड
2. रसकेन्द्री पुत्री स्व. शिव सिंह  
निवासी ग्राम धन्नू का पुरा, तहसील  
बाड़ी, जिला धौलपुर (राजस्थान)
3. परिकल्प एसोसियेट द्वारा पार्टनर  
महेश भारद्वाज पुत्र मुन्नालाल  
निवासी संजय कॉम्प्लेक्स,  
जयन्दगंज, लश्कर, ग्वालियर  
(फॉर्मल पक्षकार) —— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के  
अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर  
के प्रकरण क्र. 602/16-17/अपील मुन्नी देवी आदि / विमला देवी  
आदि आदेश दिनांक 28.06.2018 को पारित ।  
श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :-

यह कि ग्राम खेरिया, पुरानी छावनी, तहसील व जिला ग्वालियर में  
स्थ. इट सिंह देवकराह की दर-इटेंट हैं की दो पत्नियाँ द्वच्च  
स्थ. देवकराह की दूसरी पत्नी दर-इटेंट हैं जिन्हें को

**न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

**अनुवत्ति आदेश प्रष्ठ**

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4518 / 2018 / ग्वालियर / भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री कुवंसिंह कुशवाह उपस्थित। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन कि उभयपक्ष आपसी सहमति से प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः आवेदक के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><b>अध्यक्ष</b></p>